

7/3/24

पत्रावली पेश। वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय के सहायक कर्मचारी से आ-बाद मावाये लागवामी किन्तु न तो वादी स्वयं उपस्थित न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित जिससे वादी की अदम दायरी अदम पैरवी में वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली तदनुसार निर्गित है। अदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।